न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2009 (रेफरेंस)
पंजीयन दिनांक 14.07.2009

सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री उम्मेदराम पिता चतरभुज जाट, निवासी अमरपुरा
2–श्री जीवनराम पिता केशुराम जाट मृत्तक के बजाएः–
2/1–श्री रामनारायण पिता जीवनराम जाट निवासी अमरपुरा
2/2–श्री आशाराम पिता जीवनराम जाट निवासी अमरपुरा
3–श्री रामविलास पिता केशुराम जाट निवासी अमरपुरा
4–श्री रामप्रताप पिता केशुराम जाट, निवासी अमरपुरा
5–श्री रामस्वरूप पिता चेनराम जाट मृत्तक के बजाएः–
5/1–श्री मनोहरसिंह पिता रामस्वरूप जाट निवासी अमरपुरा
5/2–श्री प्रहलादसिंह पिता रामस्वरूप जाट निवासी अमरपुरा
5/3–श्यामाबाई पुत्री रामस्वरूप जाट निवासी अमरपुरा
5/4–सतुबाई पुत्री रामस्वरूप जाट पत्नि श्री मनोहरसिंह निवासी मोरवन, तह. जावद जिला नीमच
5/5–जानीबाई पत्नि स्व. रामस्वरूप जाट निवासी अमरपुरा
6–श्री रामनिवास पिता चेनराम जाट निवासी अमरपुरा
7–श्रीमती बुलाकी बाई पत्नि स्व. रामजस जाट निवासी अमरपुरा
8–श्री हरिसिंह पिता रामजस जाट निवासी अमरपुरा
9–सुश्री मन्जू पुत्री रामजस जाट निवासी अमरपुरा
10–सुश्री चन्दा पुत्री रामजस जाट निवासी अमरपुरा
11–सुश्री पिंकी पुत्री रामजस जाट निवासी अमरपुरा
12–श्री रामबक्ष पिता हीरालाल जाट निवासी अमरपुरा
13–श्री भागीरथ पिता हीरालाल जाट मृत्तक के बजाएः–
13/1–श्री रामगोपाल पुत्र भागीरथ जाट निवासी अमरपुरा
13/2–सोहनीबाई पुत्री भागीरथ जाट निवासी नई आबादी किशनपुरा पोस्ट बाडी, तहसील निम्बाहेड़ा
13/3–श्रीमति गीता पुत्री भागीरथ जाट निवासी हरवार जिला नीमच (मध्यप्रदेश)

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13/4-श्रीमति कस्तुरी पत्नि स्व. भागीरथ जाट निवासी अमरपुरा (नामतर्क)
14-श्री मांगीलाल पिता रामबक्ष जाट मृत्तक के बजाए:-
14/1-श्री महेन्द्रसिंह पुत्र मांगीलाल जाट निवासी अमरपुरा
14/2-मोहनीबाई पुत्री मांगीलाल जाट निवासी अमरपुरा
15-श्री गोविन्दराम पिता रामबक्ष जाट निवासी अमरपुरा
16-सरपंच ग्राम पंचायत सामरी
सभी निवासीयान तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

-विपक्षी

कार्यवाही: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आर. टी. ए. 1955

उपस्थिति:- 1- श्री मनोहर लाल दक, राजकीय अभिभाषक
2- श्री चम्पालाल जाट, अधिवक्ता वि. सं. 6, 8 व 13/3

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 03.09.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिधारी (तहसीलदार) चित्तौड़गढ़ ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम अमरपुरा, तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 282, 283, 225, 235 एवं 238 किता 5 कुल रकबा 38.01 बीघा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज थी। यह भूमि ठिकाना सलुम्बर द्वारा ना. सं. 24 दिनांक 05.06.57 से बिलानाम भूमि को चारागाह में दर्ज करने से चरनोट महफूज समस्त गांव के नाम दर्ज किया गया जिसमें मुखिया चतर्भुज, हीरालाल एवं नानालाल का नाम दर्ज किया गया। उक्त आराजी गांव की चारागाह भूमि होकर गांवाई दर्ज रेकार्ड रहती है किन्तु मुखिया का नाम दर्ज होने से विरासत से यह विपक्षीगणों के

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ़

नाम दर्ज हो गई है। गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 282, 283, 225, 235 एवं 238 किता 5 रकबा 38.01 बीघा के नये भू प्रबन्ध के आराजी नम्बर 308, 316, 318 एवं 320 कुल रकबा 7.80 है. दर्ज होकर विपक्षीगण के नाम दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 05.06.1957 में गांवाई चरनोट के आगे विपक्षीगण चतर्भुज, हीरालाल एवं नानालाल एवं उसके बाद परिवर्तन से विपक्षीगण के नाम अंकित किये जाने से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि पुनः बिलानाम चारागाह दर्ज कराने एवं विपक्षीगण का नाम हटाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 6, 8 व 13/3 की ओर से अधिवक्ता श्री चम्पालाल जाट ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 15 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र झंवर ने अधिकार पत्र पेश किया। उसके पश्चात् पुनः कोई निर्देश नहीं का अंकन करते हुए हिदायत पैरवी नहीं का निवेदन किया। शेष विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुन प्रकरण गुणावगुण पर देखा।

राजकीय अभिभाषक ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम अमरपुरा की गत बन्दोबस्त की आराजी नम्बर 282, 283, 225, 235 एवं 238 किता 5 रकबा 38.01 बीघा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज थी जिसे ठिकाना सलुम्बर द्वारा ना. सं. 24 दिनांक 05.063.57 से चारागाह में दर्ज करने के तहत चरनोट महफूज समस्त गांव के नाम दर्ज किया तथा उस समय गांव के मुखिया चतर्भुज, हीरालाल तथा नानालाल होने से उनके नाम शामलात गांवाई दर्ज की गई किन्तु इसमे मुखिया का नाम दर्ज होने से यह भूमि विरासत से विपक्षीगणों के नाम अंकित हो गई है तथा इसके नये भू प्रबन्ध के आराजी नम्बर 308, 316, 318 एवं 320 कुल

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रकबा 7.80 है. बने हैं जो शामलात गांवाई विपक्षीगण के नाम अंकित है जो विधि-विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः आवेदन स्वीकार फरमाकर उक्त आराजी को पूर्व किस्म अनुसार चारागाह दर्ज कराने तथा विपक्षीगण का नाम हटाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 6, 8 व 13/3 ने कथन किया इनके द्वारा ही ठिकाना सलुम्बर के नजराना पेश किया जिस पर गत भू प्रबन्ध की आराजी नम्बर 282, 283, 225, 235 एवं 238 किता 5 कुल रकबा 38.19 बीघा लगान ग्यारह रूपये तेरह आने की स्वीकृति प्रदान की। जिसका नामान्तरकरण दिनांक 28.10.56 को खोला गया एवं लगान दस रूपये आठ आने वसूल करने का आदेश हुआ इस प्रकार यह भूमि उक्त तीनों व्यक्तियों के खातेदारी में दर्ज हुई एवं तब से लगान बराबर जमा किया जाता रहा है। विपक्षीगण खातेदार है एवं लगातार लगान जमा करवाते आ रहे हैं जो लगान जमा कराता है वो खातेदार होता है विपक्षीगण सन् 1957 से बहैसियत काबिज खातेदार हैं। नामान्तरकरण ठिकाना सलुम्बर के आदेश से खोला गया है जिसे निरस्त नहीं किया गया है। अतः तहसीलदार चित्तौड़गढ़ का आवेदन निरस्त फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा। ग्राम अमरपुरा के नामान्तरकरण संख्या 24 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत बन्दोबस्त की आराजी संख्या 282, 283, 225 एवं 235 बिलानाम सरकार दर्ज थी जिस पर जमींदार ने 30 बीघा 19 बिस्वा पर चराई पेटे कब्जा कर रखा है इसलिए लगान सालाना 10 रू. 10 आना वसूल होने की आज्ञा फरमाई जावे अंकित है। साथ ही इस नामान्तरकरण पर एक नोट और भी अंकित है कि "नामान्तरकरण संख्या 24 पेश हुआ हाजरीन का कथन है कि उनके गांव में

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सम्पूर्ण गांव की चरनोट भूमि 30 बीघा 19 बिस्वा इसका लगान गांव वालों की ओर से सालाना जमा करवाते हैं इनके पास इस चरनोट के बाबत् कोई लिखावट नहीं है अतः आवाम में प्रश्न पत्र जारी किया जाकर ठिकाना सलुम्बर के आराजी नम्बर का दरयिफत किया जावे।'' इसी नामान्तरकरण पर दिनांक 05.06.57 के नोट में आराजी नम्बर 282, 283, 225, 235 एवं आराजी नम्बर 238 रकबा 38 बीघा 01 बिस्वा भूमि चरनोट महफूज समस्त गांव के नाम पर दर्ज हो मुखिया चतरभुज हीरालाल नानालाल दर्ज हो। उक्त नामान्तरकरण में शिकमी दर्ज किया गया था। ग्राम अमरपुरा के मिलान क्षेत्रफल अनुसार पुराने नम्बरों का मिलान होता है। यह आराजी बन्दोबस्त पूर्व भी महफूज चरनोट ही दर्ज थी जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, के प्रावधान लागू हो जाने से केवल गांवाई चारागाह नाम से ही अंकित किया जाना अपेक्षित था। उक्त नामान्तरकरण में किसी प्रकार का कोई लिखित आदेश नहीं होने का भी अंकन है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 में यह पूर्णतः स्पष्ट अंकित है कि गैर मौरूसी गैर खातेदारान चरनोट महफूज अंकित है जिससे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भूमि गैर मौरूसी (पैतृक) नहीं होने से एवं गैर खातेदारी में अंकन होने से खातेदारी एवं विरासत कायम करने के प्रावधान नहीं होते हुए भी विरासत कायम की गई है जिससे विपक्षीगण के नाम अंकित हुए हैं जो विधि विपरीत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर गत बन्दोबस्त के आराजी नम्बर 282, 283, 225, 235 एवं 238 रकबा 38.01 है. जो बन्दोबस्त पूर्व भी शामलात गांवाई महफूज चरनोट ही दर्ज थी जिसके नवीन भूप्रबन्ध के आराजी नम्बर 308, 316, 318 एवं 320 कुल रकबा 7.80 है. बने हैं जो कि विपक्षीगण के नाम शामलाती गांवाई राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अतः उक्त आराजीयात को पुनः बिलानाम चारागाह दर्ज कराने हेतु नामान्तरकरण संख्या

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24 दिनांक 05.06.57 को निरस्त कराने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official